न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 572/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 242/2026

---

1. बुन्देला महतो उर्फ बुनेला महतो, पिता हरी महतो, उम्र करीब 49 वर्ष,
2. मुन्नी देवी, पति दिलीप महतो, उम्र करीब 42 वर्ष,
3. पुतुल देवी, पति सुनील महतो, उम्र करीब 35 वर्ष,
4. अमित कुमार, पिता बुन्देला महतो, उम्र करीब 28 वर्ष,

सभी साकिन छतरपुर, वार्ड नं0 14, थाना मोकामा, जिला पटना.....आवेदक अभियुक्तगण

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार सिंह,
बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

23.06.2026 आवेदक अभियुक्त 1. बुन्देला महतो उर्फ बुनेला महतो, 2. मुन्नी देवी, 3. पुतुल देवी एवं 4. अमित कुमार की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बी.एन.एस.एस. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 242/2026, अंतर्गत धारा 190, 191(2), 126(2), 115(2), 117(2), 109(1) 303(2), 352, 351(2), 125(a) भारतीय न्याय संहिता से सम्बंधित है।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से पूर्व में कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त मुन्नी कुमारी एवं अमित कुमार के विरुद्ध पूर्व से एक वाद लंबित है तथा बुन्देला महतो उर्फ बुनेला महतो एवं पुतुल देवी के विरुद्ध मोकामा थाना कांड सं0 145/16 अंतर्गत धारा 341, 504, 447/34 भा.द.वि. के तहत आपराधिक इतिहास है। आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है और इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। प्राथमिकी के अनुसार घ ाटनास्थल पर कोई घटना नहीं घटी है। आवेदक अभियुक्तों की ओर से इस वाद का प्रतिलोम वाद मोकामा थाना कांड सं0 241/26 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109(1) 324(4), 329(4), 351(2), 303(2), 190, 191(2) बी.एन.एस. के तहत सूचक एवं उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि जमानत आवेदन के साथ संलग्न है। इस वाद में धारा 109(1) 303(2) बी.एन.एस. को छोड़ अन्य सभी धाराएं जमानतीय प्रकृति के हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को गंभीर चोटें नहीं है और न ही जान से मारने का कोई इरादा था। धारा 303(2) बी.एन.एस. का विशिष्ट आरोप नही है और वाद को अजमानतीय बनाने के उद्देश्य से जोड़ा गया है। आवेदक अभियुक्तों के विरुद्ध विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण के

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 572 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 242 / 2026

लगातार
23.06.2026

फरार होने की कोई संभावना है। आवेदक अभियुक्तगण कानून को सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदक अभियुक्तों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं और निवेदन करते कि आवेदक अभियुक्तगण पर सूचक को मारपीटकर जख्मी करने का गंभीर आरोप है। अतः इनका अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाय।

प्रस्तुत वाद के सूचक चन्द्रशेखर महतो हैं। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 12.05.2026 को समय लगभग 7 बजे शाम को सूचक अपने परिवार के साथ घर के दरवाजे के पास बैठा था, तभी अचानक अभियुक्तों ने अपने हाथ में लाठी–डंडा एवं ईंट की टुकड़ी लेकर आये और गाली–गलौज करने लगे। जब सूचक गाली का विरोध किया तो बुनेला महतो ने जान मारने की नियत से गला में गमछा का फंदा लगाने लगा, जिससे सूचक का दम घुटने लगा, इसी बीच दिलीप महतो ईंट के टुकड़ा से सूचक के आंख के नीचे बांए गाल पर मारा, जिससे गाल फट गया और खुन बहने लगा। सूचक के चचेरा भाई रज्जन महतो को जान मारने के नियत से अभियुक्तों ने लाठी–डंडा एवं ईंटा से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया और नितिश कुमार ने ईंटा से सर पर मारा जिससे सर फुल गया और चोट के कारण जमीन पर गिर गया, इसी बीच सूचक का 5,000 रुपया बुनेला महतो निकाल लिया और धमकी दिया कि सभी परिवार को जान से मार देंगे और पुलिस के पास जायेगा तो अंजाम बुरा होगा। हल्ला पर ग्रामीणों को आते देख अभियुक्तगण भाग गए, उसके बाद सूचक एवं उनके परिवार के लोग मोकामा रेफरल अस्पताल में ईलाज कराए, तत्पश्चात् थाना आकर आवेदन दिए।

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। अभियुक्तों पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक को जान मारने की नियत से गले में गमछा लगाकर फंदा लगाने, ईंट के टुकड़ा से मारकर उसका गाल फाड़ देने एवं बचाने आये उसके भतीजा एवं चचेरा भाई को मारपीटकर जख्मी कर देने का आरोप है। पारा–18 में वादी ने पुनः बयान में तथा पारा–6 एवं 9 में साक्षी घुटन महतो एवं दौलती देवी ने सूचक को मारपीटकर जख्मी कर देने की बात कही है। पारा–51 में जख्म प्रतिवेदन के अवलोकन से विदित होता है कि जख्मी चन्द्रशेखर महतो को Lacerated wound in left cheek (1” x 1mm x 0.5mm) कारित होने का वर्णन है। प्राप्त कांड दैनिकी में आवेदक अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का वर्णन नहीं है, परन्तु जमानत आवेदन के पारा–3 में एक आवेदक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास होने की बात कही गयी है। इस वाद में अन्य सह अभियुक्तों

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :– वीरेन्द्र कुमार चौबे
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 572 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 242 / 2026

लगातार
23.06.2026 को निम्न न्यायालय द्वारा नियमित जमानत का लाभ दिया गया है। अभियुक्तों द्वारा यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्तों पर सूचक पर जानलेवा हमला करते हुए उसे जख्मी कर देने का गंभीर आरोप है। वाद अभी अनुसंधानान्तर्गत है।

वाद के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त 1. बुन्देला महतो उर्फ बुनेला महतो, 2. मुन्नी देवी, 3. पुतुल देवी एवं 4. अमित कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। आवेदक अभियुक्त यदि चाहे तो निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण कर नियमित जमानत हेतु आवेदन दाखिल कर सकते हैं। यदि उनके द्वारा ऐसा किया जाता है तो निम्न न्यायालय बिना इस आदेश से प्रभावित हुए उचित आदेश पारित करेंगें।

(लेखापित / शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ